मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या– 64/11

दिनांक २५/७/2011

महाशय,

प्लॉट संख्या 3590,3591,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600 (P) 3601,3602, (P) 3603,3604,3607, 3608,(P) खाता संख्या– 266, मौजा– पारडीह, थाना संख्या– 1641, पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में शैक्षणिक भवन Ground Floor + 1st Floor, Height- 7.77 M, Total Unit – 28 Nos. (Class Room, Staff Room & Store Room), 3Nos. Lab, Computer Room & Seminar Hool प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपाकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रुप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ॰क्षे॰स॰ कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्त्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, झारखंड राँची का पत्रांक– 151 दिनांक– 04.07.11 में दिये गये निर्देशों का अक्षरसः पालन करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रुप से करना होगा।
10. भवन निर्माण मे 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ॰क्षे॰स॰ को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन मे Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ॰क्षे॰स॰ द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि /सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नही किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।

कनीय अभियंता मानगो अ॰क्षे॰स॰ जमशेदपुर	सहायक अभियंता मानगो अ॰क्षे॰स॰ जमशेदपुर	विशेष पदाधिकारी मानगो अ॰क्षे॰स॰ जमशेदपुर

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर

२५/8/11